सं0सं0–7/प्रा0–01–01/2012– 48 (7) ब

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
मधुबनी ।

पटना, दिनांक : 8 – 10 – 2012

विषयः– मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–0001–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड– N2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में (14–01) किराया महशूल एवं कर ईकाई में कुल ₹8,00,000/–(आठ लाख रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या–04(7)ब दिनांक–16.04.12, 29(7)ब दिनांक–27.06.12, 33(7)ब दिनांक–19.7.12, 46(7)ब दिनांक–03.10.12 एवं मांग पत्र के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–2013 में (14–01) किराया महशूल एवं कर ईकाई में कुल ₹8,00,000/–(आठ लाख रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08, वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11, 3833 वि0(2) दिनांक–02.04.12, 4201 वि0(2) दिनांक– 18.04.12 एवं अद्यतन निर्गत परिपत्र में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–0001–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड – N2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि की उपावंटन आवश्यकतानुसार करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी । एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

6. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. मकान किराया के भुगतान के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कोषागार पदाधिकारी से पूर्व में भुगतान नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही राशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे । सक्षम पदाधिकारी का मकाना किराया निर्धारण आदेश एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग का भवन अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की मूल प्रति से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे तथा इस आश्य का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करेंगे ।

8. मकान किराया का भुगतान सिर्फ उन्हीं संस्थानों को किया जायेगा जिनका किराया की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गयी हो । जिनकी स्वीकृति विभाग द्वारा प्राप्त नहीं हो उनका भुगतान बिना स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा ।

9. यह आवंटन मकान किराया संबंधित कोर्ट केस के मामले के निष्पादन हेतु दिया जा रहा है । इस आवंटन से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित अन्य अद्यतन पारित आदेश का भी भुगतान किया जा सकेगा ।

8/10/2012

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं विभागीय राज्यादेश संख्या–1307 (21) दिनांक–19.11.86 में निर्धारित दर (अधिकतम 10,000/–) दस हजार रूपये वार्षिक में से जो कम हो का ही भुगतान करेंगे । इसमें किसी प्रकार की अनियमितता होगी तो इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोषी होंगे ।

11. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

8/10/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 458 (7) ख पटना, दिनांक : 8-10-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य को सूचनार्थ प्रेषित।

8/10/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ग्राम औषधालयों का (14–01) किराया महशूल एवं कर में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	किराया महशूल एवं कर (14–01)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	मधुबनी	800000	1896/21.7.12

(आठ लाख रू0) मात्र

8/10/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (01–01)	2953765000	2524512400	0	2524512400	429252600
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	1979022000	1691423308	0	1691423308	287598692
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	295376000	252451240	0	252451240	42924760
4	परिवहन भत्ता (01–05)	1681000	690000	0	690000	991000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	29510000	25247124	0	25247124	4262876
6	अन्य भत्ता (01–07)	29538000	25256224	0	25256224	4281776
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**5288892000**	**4519580296**	**0**	**4519580296**	**769311704**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	2000000	1776327	0	1776327	223673
8	यात्रा व्यय (11–01)	5340000	2765000	0	2765000	2575000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	7700000	4035000	0	4035000	3665000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13–02)	10680000	6932400	0	6932400	3747600
11	दूरभाष (13–03)	4860000	2407500	0	2407500	2452500
12	विद्युत प्रभार (13–04)	21848000	9830000	0	9830000	12018000
13	विधि प्रभार (13–05)	2000000	380000	0	380000	1620000
14	वर्दी / पोषाक (13–06)	6390000	2879400	0	2879400	3510600
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	5900000	3550000	800000	4350000	1550000
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	38525000	25137600	0	25137600	13387400
17	दवा भंडार (21–02)	600000000	397968468	0	397968468	202031532
18	आहार / पथ्य (21–03)	133500000	66500000	0	66500000	67000000
19	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27–02)	1000	0	0	0	1000
20	व्यवसायीक एवं विशेष सेवाएँ (28–01)	1754000000	1181753000	0	1181753000	572247000
21	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	40000000	24280000	0	24280000	15720000
	कुल योगः–	**7921636000**	**6249774991**	**800000**	**6250574991**	**1671061009**

8/10/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

48(7) E
8-10-12